केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 128/टीएल/2023 दिनांक: 6.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा ।।–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर फेस–।। भाग–सी के अधीन खावड़ा पीएस पर 4.5 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए पारेषण योजना के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रमावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वपेक्षित घटक
1.	1x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 1x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर के साथ 3x1500 एमवीए, 765/400 केवी अहमदाबाद सब–स्टेशन की स्थापना • 765/400 केवी, 1500 एमवीए–3 (एक अतिरिक्त यूनिट सहित 10x500 एमवीए) • 765 केवी आईसीटी बे–3 • 400 केवी आईसीटी बे–3 • 765 केवी लाइन बे–4 (लकाडिया–अहमदाबाद के लिए 2 और अहमदाबाद से दक्षिण गुजरात के लिए 2) • 400 केवी लाइन बे –4 (अहमदाबाद पर पिराना (पीजी) – पिराना (टी) 400 केवी डी/सी लाइन के लीलो के लिए) • 1x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर–1 (एक अतिरिक्त यूनिट सहित 4x110 एमवीएआर) • 765 केवी रिएक्टर बे–1 • 125 एमवीएआर, 420 केवी रिएक्टर–1 • 400 केवी रिएक्टर बे–1 भावी विस्तार: निम्नलिखित के लिए स्थान बे के साथ 765/400 केवी, आईसीटी –2 बे के साथ 400/220 केवी, आईसीटी–4 765 केवी लाइन बे–8 400 केवी लाइन बे–8 220 केवी लाइन बे–7 बे के साथ 765 केवी रिएक्टर–1 बे के साथ 400केवी रिएक्टर–1	24	क्रम सं.1, 2, 3 और 4 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक–दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	दोनों सिरों पर 240एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ अहमदाबाद–दक्षिण गुजरात/नवसारी (न्यू) 765केवी डी/सी लाइन		
3.	अहमदाबाद–दक्षिण गुजरात/नवसारी (न्यू) 765 केवी डी/सी लाइन के लिए दक्षिण गुजरात/नवसारी (न्यू) सिरे पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर 765केवी लाइन बे–2(जीआईएस)*		
4.	अहमदाबाद–दक्षिण गुजरात/नवसारी (न्यू) 765 केवी डी/सी लाइन के दोनों सिरों पर 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर • 1x240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल रिएक्टर–4 • 765 केवी लाइन रिएक्टर–4 के लिए स्विचिंग उपस्कर		

नोट:

(i) खावड़ा पर 3जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को फेस–। के अधीन आरंभ किया जा रहा है। खावड़ा पर 4.5 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए फेस–।। आरई योजना को खावड़ा आरई पार्क से 3 जीडब्ल्यू के बाद निकासी आवश्यकता हेतु आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) फेस–।। (भाग क से भाग घ) के अधीन खावड़ा आरई पार्क पर 4.5 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए प्रस्तावित सभी पारेषण पैकेजों के कार्यान्वयन को समान समय–सीमा में आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) भावी 765 केवी लाइन बे और 400 केवी लाइन बे के लिए स्थान को स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के प्रावधानों के साथ रखा जाना चाहिए।

(iv) *पावरग्रिड, अहमदाबाद –दक्षिण गुजरात/नवसारी (न्यू) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए दक्षिण गुजरात/नवसारी (न्यू) सिरे पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(v) लकाडिया–अहमदाबाद 765केवी डी/सी लाइन के अहमदाबाद सिरे पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के संस्थापन के लिए स्थान के प्रावधान के साथ लकाडिया–अहमदाबाद 765केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए 765केवी लाइन बे के 2नंबर को कार्यान्वित किया जाएगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 2816.96 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.4.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 128/टीएल/2023 में दिनांक 5.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. खावड़ा ।।–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब 'पावरग्रिड खावड़ा ।।–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **19.7.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक **21.7.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)